कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी–खीरी

अंशकालिक योग प्रशिक्षक हेतु मांगे गये आवेदन पत्र हेतु संशोधित सूचना

कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी–खीरी के पत्र सं0–जि0हो0चि0अ0/2025–26/120 दिनांक 28/4/2025 द्वारा प्रकाशित अंशकालिक योग प्रशिक्षक के आबद्वी करण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थीं परन्तु उपरोक्त विज्ञप्ति संशोधित की गई है जो कि निम्न वत हैं अन्य शर्ते पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार होंगी ,

संशोधन निम्नानुसार है

1–रिक्त पद की कुल संख्या/03 (आरक्षण सहित रिक्त पद–02 सामान्य 01 आर्थिक रूप से कमजोर

3–आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 15/07/2025 को सांय 05 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

4–आवेदकों को आरक्षण (जाति सम्बन्धी) प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रेषित करना अनिवार्य है।

नोट– पूर्व प्रेषित/समय से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य होंगे। पूर्व प्रेषित आवेदकों को पुनः आवेदन प्रेषित करने की आवश्यक्ता नहीं है। परन्तु जिन आवेदकों ने आरक्षण सम्बन्धी (जाति)प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये हैं उन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिनांक 15/07/2025 को सायं 05 बजे तक पंजीकृत /स्पीड पोस्ट डाक से प्रेषित करने होंगे। अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त संशोधित सूचना एन0आई0सी0.काम –खीरी पर भी प्रकाशित है।

(डा0शैलेश प्रताप सिंह)
जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
खीरी

कार्यालय– जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, लखीमपुर–खीरी।

पता– बेहजम रोड– कालाआम पकरिया–खीरी, 262701

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

संख्या– जि0हो0चि0 / लखी0 / 2025–2026 / 119 दिनांक : 28-4-25

निदेशक होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– नि0हो0 / 194 / 18 / 1966, लखनऊ दिनांक 16 मई 2023 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के अधीन संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों पर आयुष्मान आरोग्य मन्दिर स्थापित व क्रियाशील किये जाने हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक– 96 / 30 / ए / मि0नि0 / 2023–2024 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 में उल्लिखित शासनादेश संख्या–W –81 / 96–आयुष–2–2020–127 / 2016, दिनांक 04.12.2020 के क्रम में व मुख्य विकास अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 21.04.2025 के फलस्वरूप जनपद लखीमपुर–खीरी में स्थापित आयुष्मान आरोग्य मन्दिर में रिक्त अंशकालिक योग प्रशिक्षक (पुरूष) के लिए नीचे अंकित तालिका के कालम संख्या:– 06 के अनुसार नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 20.05.2025 को सायंकाल 05 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अंशकालिक योग प्रशिक्षक (पुरूष) को प्रतिमाह, प्रति सत्र कम से कम 01 घण्टे न्यूनतम 32 योग सत्र आयोजित करने होंगे।

क्र. सं.	पदनाम	पद की संख्या	स्थान	अर्हता	पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6
1.	अंशकालिक योग प्रशिक्षक (पुरूष)	02	जनपद में संचालित आयुष्मान आरोग्य मन्दिर हेतु	(1) योग प्रशिक्षक (अंशकालीन) :– आयु सीमा :– न्यूनतम 21 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष तक के स्वस्थ्य अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। शैक्षिक योग्यता :– (ए) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से साढ़े पांच वर्षीय कोर्स बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस (बी0एन0वाई0एस) डिग्री धारक। अथवा, (बी) बी0ए0 (योग) तीन वर्षीय डिग्री धारक / बी0एस0सी0 (योग) / एम0एम0 (योग) डिग्री धारक और अनुभव– एक वर्ष। अथवा (सी) पी0जी0 डिप्लोमा (न्यूनतम एक वर्षीय पाठ्यक्रम) डिप्लोमा धारक। और अनुभव– दो वर्ष। अथवा (डी) योग सर्टिफिकेशन बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा "योग वेलनेस इन्स्ट्रक्टर" प्रमाण–पत्र धारक और अनुभव– एक वर्ष। नोट :– 1– हेल्थ वेलनेस सेन्टर में योग प्रशिक्षक पद हेतु स्थानीय निवासी को वरीयता दी जायेगी। 2– कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र निर्धारित डिग्री / पी0जी0 डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र के उत्तीर्ण / प्राप्त करने के उपरान्त का ही मान्य होगा। आयु– न्यूनतम 21 वर्ष से 65 वर्ष तक	अंशकालिक योग प्रशिक्षक (पुरूष) हेतु एक मुश्त पारिश्रमिक रू0 8000.00 प्रति माह।

नोट :– आवेदन पत्र जनपद खीरी के एन0आई0सी0 की वेबसाइट https://kheri.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना बाद में रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।

(डा0 शैलेश प्रताप सिंह)
जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, खीरी
पता– बेहजम रोड, कालाआम पकरिया
जनपद खीरी, 262701

O/C

आवेदन–पत्र का प्रारुप

पासपोर्ट साइज का नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटो लगायें

विज्ञापन संख्या व दिनांक :– ....

2– आवेदित पद का नाम :– ....

3– अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम :– ....

4– पिता/पति का नाम :– ....

5– जन्मतिथि (अंको में) :– ....

6– दिनांक :– 31.03.2025 को आयु.................वर्ष.....................माह.................दिन...................

7– पत्र व्यवहार का पता :– ....

8– स्थाई पता:– ....

9– जाति/वर्ग :– ....

10– शैक्षिक योग्यता :– ....

11– मो0नं0 (व्हाट्सएप्प) :– ....

12– शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसायिक योग्यता तथा अनुभव (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

क्र.सं.	उत्तीर्ण परीक्षा/डिग्री/डिप्लोमा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

अनुभव–

क्र. सं.	संस्था का नाम जहां से अनुभव प्राप्त किया है।	कब से (DD-MM-YY)	कब तक (DD-MM-YY)	अभ्युक्ति

मैं...एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो विवरण आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया सत्य एवं सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य/विवरण असत्य पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाये।

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

संलग्नक :– ....

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर व पूरा पता–

अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश :–

1– समस्त शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) स्व–प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें एवं यथास्थान स्व–हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो आवेदन पत्र पर चस्पा करें।

2– आबद्धीकरण की अवधि एक वर्ष की होगी। आबद्धीकरण की अवधि शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अधीन होगी।

3– अभ्यर्थियों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य एवं संबंधित योगिक सेवा प्रदान करने हेतु सक्षम होना आवश्यक है।

4– इस नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के अधीन नियमित पदों पर नियुक्ति पाने का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5– नियुक्त व्यक्तियों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर प्रभावी गर्वमेन्ट कन्डक्ट रूल लागू होंगे। कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

6– उपरोक्त विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का संशोधन/निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा। साक्षात्कार के समय समस्त मूल प्रमाण–पत्र लाना आवश्यक होगा।

7– अभ्यर्थियों के अर्ह अथवा अनर्ह होने के सम्बन्ध में चयन समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

8– आयुष्मान आरोग्य मन्दिर में योग प्रशिक्षक पद हेतु स्वस्थ एवं स्थानीय निवासी को वरीयता दी जायेगी।

9– लिफाफे के ऊपर आवेदित पद के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। तथा स्वयं का पता अंकित लिफाफा 25/–रू0 डाक टिकट चस्पा कर संलग्न किया जाना आवश्यक है।

10– आवेदन पत्र पूरी सावधानीपूर्वक भरा जाए। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा ओवर राईटिंग होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

11– अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु सूचना एन0आ0ई0सी0– खीरी एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी जनपद खीरी एवं मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन लखीमपुर के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी। तथा सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी प्रेषित की जायेगी

12– आवेदन पत्र जनपद खीरी की एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, से डाउनलोड किया जा सकेगा।